

पुं० सं० 176/19
लोहरा बजई vs नानू राम बजई

26.03.19

उपास्थित
पत्रावली पर...
पीठासीन...
अवकाश में...
दिनांक...24/5/19...को पेश हो।

24/5/19 पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपास्थित
आदेश से शिडर
वादी को न्यायास्थित में एक अवसर
दिया जाता है। पत्रावली वादो
उचित अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक
04/07/19 को पेश हो।

04.07.19.

वादी कलिल उपस्थित 0. न. 0. 11. व 12 के
दुनः हमन तलवार बेश हो और पारी हो
पत्रावली वादो जवाब दिनांक 13.08.19 को
पेश हो

13.08.19. पत्रावली पेश हुई। बजई वादी अनुपास्थित
विधिका कार-कार आपसे कगपई गई
फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है वादी
पूर्व में भी दिनांक 24.05.19 को अनुपास्थित
बल ही ऐसी स्थिति में बजई को अलग हजरी
में खारिज किया जाना उचित मतील होता है।
वादी के अनुपास्थित करने के कारण
बजई को अलग हजरी में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली के तल हजरी हेतु फर्मा
जम्बर में काम की आपसे

उपस्थित अधिकारी
हमीराक